

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक : ए.4()लेखा/प्रतिबद्ध/2017-18/ 915

दिनांक :- 17/11/2017

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, सीकर/अलवर
/भरतपुर/चूरु/डूंगरपुर/बाडमेर/पाली/भीलवाडा।

विषय:- बजट प्रस्ताव मेडिकल कॉलेज के माध्यम से प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ:- शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग का आदेश क्रमांक प018(2)एम.ई./ग्रुप-1/2015 दिनांक 18.04.2017 तथा शासन उप-सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग का पत्रांक प034(1)M&H/2/2017 दिनांक 17.10.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेशों के द्वारा निदेशक(जन स्वास्थ्य) के नियन्त्रणाधीन निम्नलिखित चिकित्सालयों/प्रा. स्वा. केन्द्रों/सा. स्वा. केन्द्रों को मेडिकल कॉलेजों के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन किया गया है:-

क्र.सं.	मेडिकल कॉलेज का नाम	नियन्त्रणाधीन चिकित्सालय / प्रा. स्वा. केन्द्र / सा. स्वा. केन्द्र का नाम
1	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, सीकर	1.प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,सीकर 2.आरएचटीसी सीएचसी पीपराली 3. यूएचटीसी कायस्थ नगर डिस्पेन्सरी-2
2	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अलवर	1.प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,अलवर
3	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, भरतपुर	1.प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,भरतपुर 2.आरएचटीसी प्रा0 स्वा0 केन्द्र, चिकसाना 3. यूएचटीसी शहरी प्रा0 स्वा0 केन्द्र, प्रतापनगर, भरतपुर
4	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, चूरु	1.प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,चूरु 2.आरएचटीसी प्रा0 स्वा0 केन्द्र,सैजूसर 3.यूएचटीसी डाबला रोड
5	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर	1.प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,डूंगरपुर 2. आरएचटीसी पुनाली 3. यूएचटीसी डिस्पेन्सरी पटेला
6	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, बाडमेर	1.प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,बाडमेर 2.आरएचटीसी सीएचसी बिसाला 3.यूएचटीसी महावीर नगर
7	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, पाली	1.प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,पाली 2. आरएचटीसी प्रा0 स्वा0 केन्द्र, जैतपुर 3.यूएचटीसी हाउसिंग बोर्ड
8	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, भीलवाडा	1.प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,भीलवाडा 2.आदर्श प्रा0 स्वा0 केन्द्र, आमा,ब्लॉक कोटडी 3.नगरीय प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सांगानेर भीलवाडा

विभाग की बीएफसी (राज्य निधि प्रतिबद्ध) मीटिंग दिनांक 08.11.2017 को उप शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग के कक्ष में आयोजित की गई है जिसमें उक्त अस्पतालों/प्रा0 स्वा0 केन्द्रों/सा0 स्वा0 केन्द्रों के लिए वर्ष 2018-19 हेतु बजट प्रावधान संबंधित मेडिकल कॉलेज के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। वर्ष 2018-19 हेतु विभाग नियन्त्रणाधीन राज्य निधि के लेखामदों में उक्त अस्पतालों/प्रा0 स्वा0 केन्द्रों/सा0 स्वा0 केन्द्रों के लिए बजट प्रावधान नहीं लिया गया है।
अतः उक्त चिकित्सालयों/संस्थानों हेतु संबंधित मेडिकल कॉलेज वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वित्तीय प्रावधान स्वीकृत कराने की व्यवस्था करावे।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार संदर्भित आदेश।

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

दिनांक :- 17/11/2017

क्रमांक : ए.4()लेखा/प्रतिबद्ध/2017-18/ 915
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, विभाग, राज. जयपुर।
3. मिशन निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
6. विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन/शैक्षणिक) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय।
8. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर।
9. अतिरिक्त मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.सी.एल., जयपुर।
11. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज राजस्थान।
12. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जौन- राजस्थान।
13. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
14. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, राजस्थान।
15. प्रभारी अधिकारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर